Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to conduct the proceedings and judgments in courts in regional languages.

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे लोक हित की बात को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । न्यायालय के अंदर जो कानून थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो उपयोग में नहीं आ रहे थे या जिनमें त्रुटियां थीं, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उन कानूनों को निरस्त किया गया और उनकी त्रुटियों में सुधार किया गया ।

मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि लोकल न्यायालय में और उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा में बहस हो, उसके जजमेंट स्थानीय भाषा में लोगों को दिएं जाएं । न्याय के मंदिर में खड़ा वह व्यक्ति, जो अपनी जमीन, जेवर को गिरवी रखकर न्यायालय में आता है, उसको यही नहीं पता कि हमारा वकील क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है? वहां सिर्फ अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है । अगर स्थानीय भाषा में बहस होगी, स्थानीय भाषा में जजमेंट मिलेगी, तो उस व्यक्ति को सही न्याय मिल सकेगा । मेरी आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और विधि मंत्री जी से यह अपील है ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप ठीक से जानते हैं कि एक मिनट में कितनी बात कही जा सकती है । आप उसी ढंग से एक मिनट बोलने के लिए प्लान कीजिए ।

… (व्यवधान)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN : Sir, will you please give me one minute to complete my submission?

माननीय सभापति: बोलिए, अपनी बात पूरी करिए ।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN : Hence, at least Rs. 50,000 crore may be allocated as additional funding. The wages under the MGNREGA may be enhanced from Rs. 210 to a living wage. The number of working days may be enhanced from 100 to 200 per year and steps may be taken to clear the pending wage arrears of the MGNREGS as early as possible.